

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी- श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

नांक सीडर/2018/656

दिनांक - 22/03/18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1 रमजान खा 2 गाजी खां 3
मांगू खा पिसरान करीम खां
जाति तेली निवासी रावतसर
दक्षिण तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 काछू खां पुत्र नूरा खां 2 रातार पुत्र हमीरा खां 3
कालू खां पुत्र नूरा खां जाति तेली निवासी रावतसर
दक्षिण 4 भीखाराम पुत्र वेतनराम 5 बाकाराम पुत्र
तिलोकाराम जाति सुथार निवासी डूडियों की टाणी,
रावतसर दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर 6
तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 25/2018

दिनांक- 21/03/18

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रावतसर दक्षिण पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 1478 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 1742/1481 रकबा 27.03
बीघा कुल रकबा 27.19 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।



क्रमांक - सीडर/2018/657-60

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
- 2 पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 खुदा रमजान खां पुत्र करीम खां वगैराह जाति तेली निवासी रावतसर दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर।
- 4 विप्रार्थी काछू खां पुत्र नूरा खां वगैराह जाति तेली निवासी रावतसर दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक- 22/03/18

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर